खण्ड विकास अधिकारी स्योहारा

जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्र0सं0	बिन्दू		बिन्दूवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टयाँ, कृत्य और कर्त्तव्य		विकास खण्ड के अन्तर्गत इ0आ0स्व0जयन्ती ग्राम स्व रोजगार योजना बायोगैस नरेगा के अन्तर्गत कार्य कराये जाते है अन्य लाईन विभागो के प्रतिनिधियो के माध्यम से ग्राम पंचायत राज विभाग द्वारा स0वि0अ0 पं0 व ग्राम पंचायत अधिकारियो के माध्यम से ग्रामो मे नाली/खडन्जा/स्व0शौचालय का कार्य समाज कल्याण विभाग के स0वि0अ0स0क0व ग्राम विकास अधिकारी स0क0 के द्वारा एस0सी0पी0 व स्वच्छकार विमुक्ति योजना का कार्य एंव ग्राम पंचायत अधिकारियो के माध्यम से पेन्शन संबधी कार्यतथा लघु सिचाई विभाग के अवर अभियन्ता के द्वारानिः शुल्क बोरिग का कार्य कराया जाता है तथा सभी की संकलित प्रगति रिपोर्ट संमबन्धित विभागाध्यक्ष को भेजी जाती है
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य		विकास खण्ड के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है और राज्य सरकार के अधीन ही 21 सूत्रीय कार्य समपन्न करते है लाईन विभाग के अधिकारियो के लिये द्वैध व्यवस्था है
3	विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।		विकास खण्ड स्तर पर निम्न अधिकारी एंव कर्मचारी कार्यरत है खण्ड विकास अधिकारी विकास विभिन्न विभागो से समबन्धितसहायक विकास अधिकारियो अवर अभियन्ता ग्रा0अभि0से0/ल0सि0 ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी बोरिग टैक्नीशियन समबन्धित पटल सहायक एंव आकिंक एंव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि कार्यरत है शासन द्वारा संचालित कार्यक्रमो का संचालन एंव निरीक्षण /पर्यवेक्षण अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा किया जाता है ।विकास खण्ड का कार्यलय स्योहारा मे स्योहारा–नूरपुर रोड पर स्थित है जो जनपद मुख्यालय से 66 कि0मी0 दूरी पर स्थापित है ।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा निर्धारित माप मान।		विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी नियन्त्रण अधिकारी का पद सृजित है जिसके नियन्त्रण मे रहकर समस्त अधिकारी एंव कर्मचारी शासकीय कार्य समपन्न करते है।

क्र0सं0	बिन्दू		बिन्दूवार सूचना
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।		विभाग द्वारा खण्ड विकास अधिकारी विभिन्न विभागो से समबन्धित विषय विशेषज्ञ के रूप मे कार्यरत सहायक विकास अधिकारी अवर अभियन्ता ग्रा0अभि0से0/ल0सि0 /बो0टक्नी0/ग्राम विकास अधिकारी /ग्राम पंचायत अधिकारी पटल सहायक आकिंक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है जिनके द्वारा शासनादेशो एंव पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य सम्पादित करते हुऐ समबन्धित अभिलेखो को सुरक्षित रखा जाता है ।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियंत्रण में है।		शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हे जिनका नियमानुसार अवलोकन एंव कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है ।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निम्र्पण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।		क्षेत्र पंचायत स्तर पर व्लाक प्रमुख जो क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष है अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत की अध्यक्षता मे बैठक आहूत कर समस्त निर्वाचित ग्राम प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत एंव समबन्धित विधायक एंव सासदो द्वारा चयनित योजनाओ का अनुमोदन कराया जाता है
8	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो ओर जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिये किये गये हो और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिये सुलभ है।		क्षेत्र पंचायत की बैठक मे शासन की मंशा के अनुरूप समबन्धित समस्त जनप्रतिनिधियो की राय एंव सुक्षाव प्राप्त कर तदानुसार बैठक मे अनुमोदन कराने के पश्चात विकास खण्ड द्वारा कार्यक्रमो की योजनओ का संचालन किया जाता है ।

क्र0सं0	बिन्दू		बिन्दूवार सूचना
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।		विकास खण्ड मे कार्यरत कर्मचारी एंव अधिकारी राज्य सरकार के नियन्त्रण मे कार्यवाही सुनिश्चित करते है और राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशो का समय से पालन करते है ।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।		विभागीय नियमावली के अनुसार विकास खण्ड मे कार्यरत अधिकारियो /कर्मचारियो की मासिक पारिश्रमिक संबधित लाईन विभागो के आहरण वितरण अधिकारियो द्वारा नियमानुसार किया जाता है दैनिक या मासिक मजदूरी दिये जाने को कोई प्राविधान नही है ।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।		विकास खण्ड को आवंटित धनराशि नरेगा के अन्तर्गत जिला विकास अधिकारी, राज्य वित्त/वारहवॉ वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी , एस0जी0एस0वाई0 तथा इन्द्रा आवास योजना की धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एंव विभिन्न प्रकार की पेन्शनो की धनराशि समबन्धित विभागो के जिला कार्यालयो से प्राप्त होती है जिसका नियमानुसार समुचित उपभोग कर उपभोग विवरण समबन्धित विभागाध्यक्षो को सह समय से प्रेषित कर दिया जाता है जिसका समय समय पर आडिट भी कराया जाता है ।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की नीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित है।		लाभार्थी परक कार्यक्रमो की धनराशि सीधे लाभार्थियो को उनके बेक खातो मे दी जाती है सूचिया कर्यालय मे उपलबध रहती है तथा जिला स्तर को भेजी जाती है ।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतें, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारियों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां		शासन के निर्देशानसुार ग्रामो मे बैठक आहूत कर गरीवी उन्मूलन कार्यक्रम एस0जी0 एस0वाई0,वैक्लपित उर्जा श्रोत बायोगैस ,ग्रामो को स्वच्छता प्रदान करने हेतु स्वच्छ शौचालय निर्माण कराने हेतु प्रेरित किया जाता है ।

क्र0सं0	बिन्दू		बिन्दूवार सूचना
14	किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।		विकास खण्ड द्वारा कराये गये कार्यो को दीबार लेखन कर सार्वजनिक किया जाता है तथा समस्त सूचनाये उच्च अधिकारियो को सह समय भेजी जाती है आवश्यकतानुसार प्रन्टि ,सी0डी0 भी उच्च अधिकारियो को उपलबध करायी जाती है ।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।		विकास खण्ड के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतो एंव क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्पादित कार्यो का विवरण (आय–व्यय)सार्वजनिक स्थानो पर दीवार लेखन कराया जाता है तथा पुस्तकालय आदि की काई व्यवस्था नही होती है ।
16	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ		क्षेत्र पंचायत से समबन्धित जन सूचना अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिसौदिया सहायक विकास अधिकारी सॉ0 एंव ग्राम पंचायतो से समबन्धित जन सूचना अधिकारी श्री हेमराज सिंह सहायक विकास अधिकारी पंचायत उपरोक्त द्वारा सूचना चाहने वालो को समय से नियमानुसार सूचना उपलबध करायी जा रही है तथा विवरण सुरिक्षत रखा जा रहा है

खण्ड विकास अधिकारी
स्योहारा (बिजनौर)